

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/ 782 /08/न्या/अनु.शा./आउशि/22  
प्रति,

भोपाल दिनांक 9/5/22

प्राचार्य,  
समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष करने के अनुक्रम में जानकारी उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/766/08/न्या/अनु.शा./आउशि/22 दिनांक 29.04.2022 ।

--000--


उपर्युक्त विषयान्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जारी संदर्भित पत्र में प्रतिलिपि में टंकण त्रुटि से निम्नानुसार अंकित है :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
2. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी ।

2. अतः इसके स्थान पर क्रमशः निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

1. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।


(आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार)

  
(डॉ. पूर्णिमा जोदवाल)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल  
भोपाल दिनांक 9/5/22

पृ.क्रमांक/ 783 /08/न्या/अनु.शा./आउशि/22  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल